

1. नीलामी की अवधि दो वर्ष के लिए होगी।
2. नीलामी के समय रू0 1,00,000.00 (एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा। बिना जमानत धनराशि के प्रतिभाग की अनुमति नहीं होगी।
3. नीलामी के साथ नीलामीदाता को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जोकि छः माह से अधिक पुराना न हो जो जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
4. प्राधिकरण परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है। नीलामी के समय मोबाइल बन्द रखना होगा।
5. नीलामी स्वीकृत होने की दशा में 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। जमा न कराने की दशा में जमानत के रूप में जमा धनराशि रू0 1,00,000.00 (एक लाख) प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।
6. जबतक उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के दिन प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करा दी जाती है तब तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जायेगी। अन्य बोलीदाताओं की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा ठेका पुनः नीलाम कर दिया जायेगा। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।
8. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम बोली के आधार पर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के साथ निर्धारित देय कर सहित दो किस्तों में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
9. प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए ठेका पुनः नीलाम किया जायेगा।
10. आयकर प्राविधानों के अनुसार ठेके हेतु प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि पर निर्धारित देय कर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में ठेका स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
11. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
12. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
14. यदि किसी भी पार्क का पार्किंग समाप्त की जाती है तो ठेकेदार को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
15. नीलामी की स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
16. ठेकेदार अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगा, ऐसा करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. यदि ठेकेदार पर किसी प्रकार का बकाया रह जाता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भौति की जायेगी, इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय भार होगा उसे ठेकेदार को देना होगा।

18. ठेकेदार प्रत्येक वाहन के लिए दो टिकट/कूपन रखेगा, वाहन स्टैंड पर आने पर एक टोकन वाहन मालिक को देगा व दूसरा टोकन/कूपन रखेगा, वाहन मालिक से टोकन/कूपन वापस आने पर ठेकेदार उसका वाहन उसे वापस करेगा।
19. यदि कोई वाहन स्टैंड से चोरी/गायब हो जाता है तो ठेकेदार को उसकी कीमत अधिकृत अधिकारी के निर्णय के अनुसार वाहन मालिक को देनी होगी। अगर वाहन में कोई नुकसान हो गया है, तो निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति ठेकेदार को देनी होगी।
20. जिस स्थान पर उपाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी कार/स्कूटर/मोटर साईकिल/साईकिल आदि वाहन रखने की अनुमति देंगे, ठेकेदार उसी स्थान पर रखेगा। निर्धारित स्थल से अधिक या दूसरी जगह वाहन रखने की अनुमति नहीं होगी।
21. ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी वाहन के मालिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
22. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही इस प्रकार खड़े हो कि यातायात के संचालन में कोई अवरोध न हो और ट्रेफिक प्रभावित न हो। इस सम्बन्ध में उसे पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
23. ठेकेदार को निम्न दरों को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदनुसार ही ठेकेदार धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

ए-दैनिक शुल्क की दरें

1. कार, जीप आदि छोटे चार पहिया वाहन रू0 20.00 प्रतिदिन प्रति प्रवेश।
2. स्कूटर, मोटर साईकिल दो पहिया वाहन रू0 10.00 प्रतिदिन प्रति प्रवेश।
3. साईकिल रू0 5.00 प्रतिदिन प्रति प्रवेश।

बी मासिक पास की दरें

1. कार, जीप आदि छोटे चार पहिया वाहन रू0 300.00 प्रतिमाह।
2. स्कूटर, मोटर साईकिल दो पहिया वाहन रू0 150.00 प्रतिमाह।
3. साईकिल रू0 60.00 प्रतिमाह।

24. पार्किंग में विद्युत कनेक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा। यदि ठेकेदार अपने उपयोग के लिए कनेक्शन लेता है, तो उस पर होने वाले व्यय का भुगतान ठेकेदार से लिया जायेगा। समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी ठेकेदार को जमा करना होगा।
25. पार्किंग में किसी प्रकार का खोखा/टेला अथवा हॉर्कर्स की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।
26. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
27. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ वाहनों के लिए पार्किंग हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
29. विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि यह बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते हैं। परन्तु ऐसी दशा में ठेकेदार को अवशेष अवधि की ही आनुपातिक धनराशि प्राधिकरण द्वारा वापस की जायेगी।
30. निर्धारित दरों से अधिक पार्किंग शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
31. पार्किंग दरों के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट जिसमें एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना

होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुरितका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

32. नीलामी पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
33. पार्किंग स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख-रखाव का दायित्व ठेकेदार का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
34. पार्किंग के आस-पास के क्षेत्र की साफ-सफाई का दायित्व एजेन्सी का होगा।
35. किसी भी नियम का उल्लंघन होने की स्थिति में एजेन्सी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
36. विद्युत एवं पानी की व्यवस्था एजेन्सी को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
37. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा पार्किंग हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायगी। ऐसी दशा में नीलामीदाता को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।